

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 480000/- (चार लाख अस्सी हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० टुनटुन कुमार, 32, श्री रामआशीष सिंह, सामान्य	श्रीमती उर्मिला देवी(पत्नी)	43/12.02. 19	ग्रा०+पो०+था०-किंजर, प्र०-करपी, अरवल	45680201 0011397	यूनियन बैंक मोतिपुर, UBIN0545686	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० कुंदन कुमार, 22, सामान्य	श्री बसंत भगत(पिता)	42/12.02. 19	ग्रा०-वासिलपुर, पो०+था०+प्र०+जि०-अरवल	50270105 933	इलाहाबाद बैंक, अहियापुर, अरवल ALLA0213319	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सखी बेचने के व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० शिवबलम कुमार, 20, अनु० जाति	श्री सुरेन्द्र पासवान(पिता)	26/25.01. 19	ग्रा०-चन्दोखर, पो०-खटंगी, था०-कुर्था, प्र०-वंशी, अरवल	23880001 00076269	पंजाब नेशनल बैंक, विथरा PUNBO238800	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ट्रैक्टर पर मजदूरी का व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० गुणी पासवान, 51, श्री रामविलास पासवान, अनु० जाति	श्रीमती रजमतिया देवी(पत्नी)	27/25.01. 19	ग्रा०-हेलालपुर, पो०-ईब्राहिमपुर, था-किंजर, प्र०-कुर्था, अरवल	45680213 0000686	यूनियन बैंक, मोतीपुर UBIN0545686	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० मुन्ना सिंह, 34, श्री सतेन्द्र सिंह, सामान्य	श्रीमती लक्ष्मी देवी(पत्नी)	28/25.01. 19	ग्रा०+पो०-निधवॉ, था०+प्र०-कुर्था, अरवल	71150100 052622	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, मानिकपुर PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूरी का व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० रामनाथ यादव, 41, श्री सुरज यादव, सामान्य	श्रीमती सकुन्ती देवी(पत्नी)	35/05.02. 19	ग्रा०-अहमदपुर हरना मुसहरी, पो०-लारी, था०+प्र०-कुर्था, अरवल	24220017 00004303	पंजाब नेशनल बैंक, कुर्था PUNBO242200	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, गौ पालकर दुध बेचने व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० लक्ष्मण चौधरी, 32, श्री नारायण चौधरी, अनु० जाति	श्रीमती रेणु देवी(पत्नी)	36/05.02. 19	ग्रा०-मानोपाकड़, पो०-पिंजरवाँ, था०+प्र०-कुर्था, अरवल	45680201 0004027	यूनियन बैंक, मोतीपुर UBIN0545686	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, निर(ताड़ी) बेचना शिल्पकार में कामगार मजदूर
8	स्व० वासुदेव भगत, 43, श्री गणेश भगत, सामान्य	श्रीमती प्रेमशीला देवी(पत्नी)	37/05.02. 19	ग्रा०-सबलक सराय, पो०-पिंजरवाँ, था०+प्र०-कुर्था, अरवल	45680201 0011227	यूनियन बैंक, मोतीपुर UBIN0545686	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, माला बनाकर बेचना शिल्पकार में कामगार मजदूर
9	स्व० तिजन राम, 43, श्री जूगेश्वर राम, अनु० जाति	श्रीमती कालो देवी(पत्नी)	39/05.02. 19	ग्रा०-ओझा विगहा, पो०-बैदराबाद, था०+प्र०+जि०-अरवल	44831011 0000635	बैंक ऑफ इंडिया, बैदराबाद BKID0004483	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 480000/-

(चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं0 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं0 श्रम क0 सं0-28/2019 के पृष्ठ-03/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(रीना कुमारी)
महिला समाज आयोजिका

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-28/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-
(रीना कुमारी)
महिला समाज आयोजिका

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-28/2019-218


पटना, दिनांक :- 03-07-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 480000/- (चार लाख अस्सी हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।


02/07/19
(रीना कुमारी)
महिला समाज आयोजिका


02/07/19
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


02/07/19
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।